जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 16.03.2023**

आज दिनांक 16.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

दहेज को लेकर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्र** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 165 / 2023 धारा 498(ए) / 306 भादवि में वांछित अभियुक्त नाम पता सूरज पुत्र बनवारी निवासी लेडुआ थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ मय हमराह।

बेलहरकला पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेहदावल **श्री राजीव कुमार यादव** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 48 / 2023 धारा 354 / 323 / 504 भादवि व 5 / 6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त छोटू पुत्र देवराज निवासी कड़जवनिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 09.03.2023 को वादी की नाबालिग बहन के साथ छेड़छाड़ व मारपीट की घटना कारित की गई थी, जिसके संबन्ध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 16.03.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अवधेश कुमार शर्मा, कां0 दिलीप कुमार, कां0 बहादुर सिंह

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की गई कार्यवाही के अन्तर्गत 16 शीशी बंटी बब्ली अवैध शराब बरामद,अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 16 शीशी बंटी बब्ली अवैध शराब (प्रत्येक की धारिता 200ML) के साथ अभियुक्त नाम पता विजय कुमार राय पुत्र राजेन्द्र राय निवासी बेलहरकला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 75/2023 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शम्भूराम मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1489 द्वारा जहर खाये युवक को अस्पताल पहुंचाकर बचायी गयी जान– पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत कोदवट से इवेन्ट संख्या 08551 से कालर ने एक व्यक्ति के जहर खाकर आत्महत्या करने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर तत्काल पहुँचकर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से जहर खाये हुए व्यक्ति को पीआरवी वाहन से इलाज सीएचसी नाथनगर पहुंचाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर जहर खाये हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आ0 जितेन्द्र चौधरी, आ0 गुरुबचन, हो0चा0 प्रमोद कुमार पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 86 वाहनो से 81,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 16.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 876 वाहनों से 81,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।